

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-5)विभाग

क्रमांक: प. 12(4)साप्र/5/13

जयपुर, दिनांक: 18-11-2013

आज्ञा

चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के कारण इस विभाग द्वारा जारी समसख्यक आदेश दिनांक 04.10.13 के द्वारा किये गये स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश की पालना पूर्ण नहीं हो सकी। अतः आगामी आदेश तक निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

1. जिन कर्मचारियों को उक्त आदेश की पालना में कार्यमुक्त कर दिया गया है लेकिन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करवाया गया है, उन्हें नव पदस्थापन स्थान पर आदेश की प्रतीक्षा में रखा जाता है एवं इनका मुख्यालय नव पदस्थापित विश्राम भवन में रखा जाता है। इनका वेतन भुगतान नवपदस्थापित स्थान से ही रिक्त पद के विरुद्ध किया जावेगा।
2. जिन कर्मचारियों को उक्त आदेश की पालना में कार्यमुक्त नहीं किया गया है उन्हें वर्तमान पदस्थापित स्थान पर आदेश की प्रतीक्षा में रखा जाता है एवं इनका वेतन भुगतान पूर्व की भांति ही किया जायेगा।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख निवासीय आयुक्त राजस्थान सरकार, बीकानेर हाउस नईदिल्ली
2. समस्त कलेक्टर राजस्थान।
3. पे एण्ड अकाउन्ट्स आफिसर बीकानेर हाउस नईदिल्ली।
4. समस्त कोषाधिकारी राजस्थान।
5. समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन राजस्थान / प्रबन्धक, राजस्थान हाउस, जोधपुर हाउस, नईदिल्ली।
6. सामान्य प्रशासन ग्रुप-4 विभाग
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव